International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-2, Issue-2 April- 2015 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

राजस्थान विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान एवं व्यवहार का अध्ययन

दिनेश कुमार शर्मा
शोधार्थी
श्री जगदीष प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय,
झून्झुनू (राज.)

डॉ० जितेन्द्र कुमार शर्मा
शोध निर्देशक
श्री जगदीष प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय,
झून्झुनू (राज.)

शिक्षा का अर्थ है –
आत्मसाक्षात्कार, आत्मषुद्धि, आत्मखोज, बंधनों से मुक्ति, सद्गुणों का विकास तथा मानव के अंदर छिपे देवत्व सत्य को प्राप्त करना। शिक्षा के द्वारा मानव अपनी पाषविक प्रवृत्तियों को परिषुद्ध कर मानवीय गुणों को प्राप्त करना है। शिक्षा मानव के जीवन मूल्यों मे रुपांतरण कर उसे आगे बढ़ाने में सहायता करती है। शिक्षा में मानव मूल्यों एवं अधिकारों की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण होती है।
मानव अधिकार का संप्रत्यय प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मानव–अधिकार संपूर्ण मानव जाति के हित साधनों की खोज करना हैं। वह किसी समाज, राज्य, धर्म आदि का विरोधी नहीं हैं। मानव अधिकारों के अभाव में मानव को मानव से अलग कर दिया है तथा मानव–मानव में संघर्ष उत्पन्न कर दिया हैं। मानव अधिकार का संप्रत्यय उन खतरों एवं संकीर्णताओं से निकलकर एक दूसरे मानव के लिए जीने का संदेष देता है। समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मानवाधिकार के अंतर्गत आती है।

समाचार पत्र–पत्रिकाओं से यह विदित होता है कि अध्यापक मानवीय रूख की जगह कतिपय अमानवीय रूख अपना रहे हैं।

- शोधार्थी, श्री जगदीष प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विष्वविद्यालय, झून्झुनू (राज.)

– शोध निर्देषक, श्रीजगदीष प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल वि.वि., झून्झुनू (राज.)
लगता है छात्रों को शारीरिक यातना देना, मानसिक प्रताड़ना देना, उनका यौन एवं आर्थिक शोषण करना आज के अध्यापकों के जीवन व्यवहार का एक अंग बन चुका है।
भारतीय सन्दर्भ में मानवाधिकारों के सभी आयामों पर दृष्टि डालने पर परिणाम ऋणात्मक ही प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों का जन्म प्रजातन्त्र के गर्भ से हुआ है। प्रारम्भ में अधिकार आदर्श तथा आस्था के विषय थे जो वर्तमान में विग्रह के साधन बन गये हैं। आज पशु–पक्षियों, नारियों, कारागार के बन्दियों, राजसेवकों, विद्यार्थियों आदि के अधिकार अनेकानेक उपनदों में संतरण कर रहे हैं। अधिकारों की इन विभक्तियों, अधिकारों के महानद में असहिष्णुता का ज्वार आया है। छात्रों तथा शिक्षकों, दोनों में ही एक आदर्श नागरिक के निर्माण में रूचि नहीं रही है। नैतिक मूल्य उपहास के विषय हो गये हैं। अधिकारों की आपाधापी में कर्त्तव्य विलुप्त हो चुके हैं। भारतीय सन्दर्भों में अधिकार मात्र कर्म का था, कर्म के फल का नहीं, किन्तु अधिकारों के अतिशय में भारतीय सन्दर्भ धूमिल तथा वास्तविक मानवीय मूल्य छविहीन हो चुके हैं। इन्द्रिय दमन का भारतीय आदेश आज के आत्मदाहों में परिलक्षित हो रहा है। अधिकारों की सुरक्षा में आत्मानुशीलन, संयम, सतर्कता तथा इससे भी अधिक कर्त्तव्योन्मुखता को रेखांकित किया जाना अपेक्षित है।

शोधकर्ता को यह समस्या हमेशा परेषान करती रही तथा मन में यह विचार आता रहा कि क्या वास्तव में शिक्षकों को मानवाधिकारों की व्यावहारिक जानकारी नहीं है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर शोधकार्य करने का निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत यह जानने का प्रयास किया गया कि अध्यापकों को मानवाधिकारों से सम्बन्धित ज्ञान है या नहीं? तथा वे उसका व्यावहारिक विद्यालय जीवन में प्रयोग करते हैं या नहीं।मानवधिकारों के संप्रयत्य के अन्तर्गत मानव के अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों तथा उनसे सम्बन्धित स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते समय मर्यादाओं, मानकों एवं नैतिकता के अधीन होगा, जो कानूनन उसी प्रयोजन हेतु निर्धारित की गई हैं ताकि अन्य समाज के व्यक्तियों के लिए अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के प्रति स्वीकृति एवं सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनता ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर–नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार–पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाये। चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे।

"उत्तर–पूर्वी राजस्थान विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान एवं व्यवहार का अध्ययन"
अनुसंधान के उद्देश्य–
प्रस्तुत अध्ययन कार्य भी कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को समर्पित है जो कि निम्नवत् हैं–

1. विद्यालय शिक्षकों के मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान के स्तर का अध्ययन करना।
2. विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार के स्तर का अध्ययन करना।
3. विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।

वर्तमान शोध कार्य में प्रयुक्त विधि–

वर्तमान शोधकार्य ''विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान एवं व्यवहार का अध्ययन'' करने के लिए किया गया है। इसके लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य को सर्वेक्षण विधि द्वारा पूर्ण किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत शोधकर्ता ने जनसंख्या के रूप में उत्तर–पूर्वी राजस्थान के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों के कक्षा एक से बारह तक विद्यालयों में कार्यरत महिला एवं पुरुष शिक्षकों का चयन किया है।

न्यादर्श का चयन

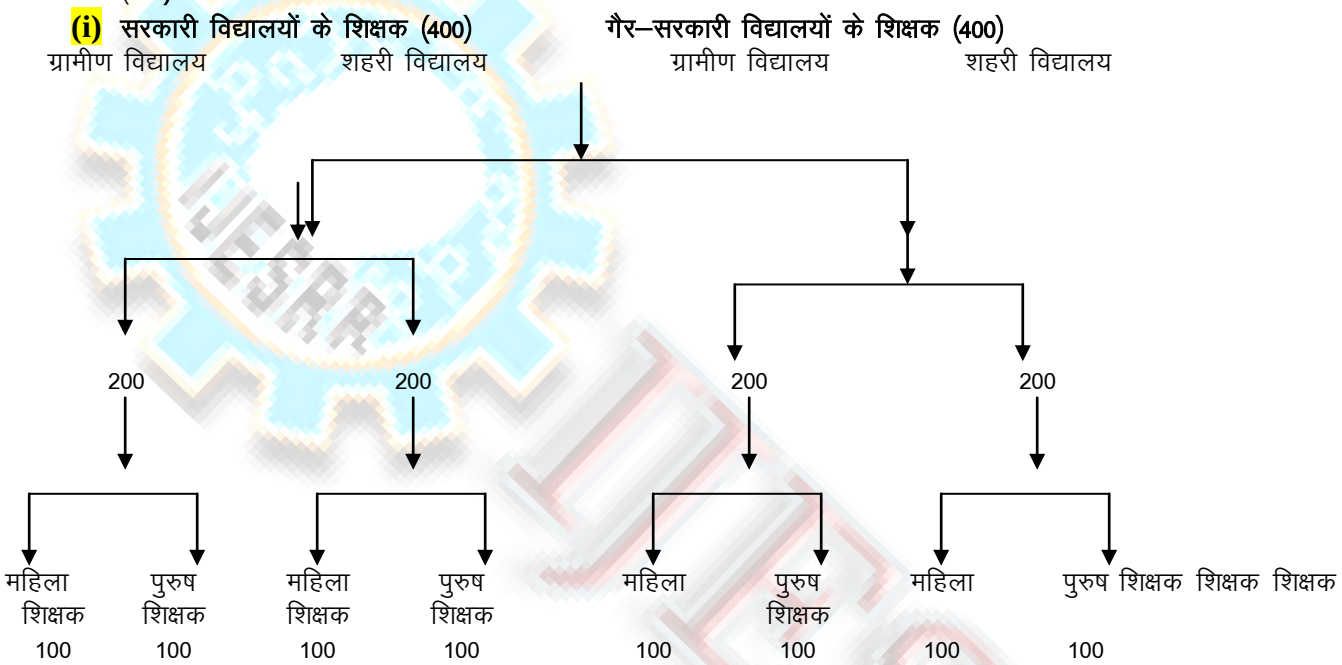

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत शोधकर्ता ने निम्नांकित दो चर अपने अध्ययन कार्य में आधार रूप में लिये हैं, ये दोनों ही चर आश्रित प्रकृति के हैं; जो अध्यापकों की पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, मानसिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य के चर–

1.मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान। 2. अध्यापकों का व्यवहार।

प्रस्तुत शोध कार्य की परिकल्पनाएं–

1. उत्तर–पूर्वी राजस्थान के विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान का औसत स्तर पाया जाता है।
2. उत्तर–पूर्वी राजस्थान के विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार का औसत स्तर पाया जाता है।
3. उत्तर–पूर्वी राजस्थान के विद्यालयी शिक्षकों में मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार का औसत स्तर पाया जाता है।
4. उत्तर–पूर्वी राजस्थान के विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार में सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रथम उद्देश्य के आधार पर समग्र निष्कर्ष–

विद्यालयी शिक्षकों पर प्रशासित मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान मापनी के प्राप्तांकों के मध्यमानों का समग्र विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक प्राप्तांक (71.88) के साथ शहरी सरकारी विद्यालयों के पुरुष शिक्षक प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय स्थान पर शहरी सरकारी विद्यालयी शिक्षक (71.64), तृतीय स्थान पर ग्रामीण सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षक (70.34), चतुर्थ स्थान पर सरकारी विद्यालयी शिक्षक (70. 18), पंचम स्थान पर शहरी सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षक (70.12), षष्ठम स्थान पर शहरी गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षक (69. 34), सप्तम स्थान पर शहरी गैर–सरकारी विद्यालयी पुरूष शिक्षक (69.32), अष्ठम स्थान पर शहरी विद्यालयी शिक्षक (68.76), नवम स्थान पर सम्पूर्ण न्यादर्ष (68.64), दसवें स्थान पर गैर–सरकारी विद्यालयी शिक्षक (68.38), ग्यारहवें स्थान पर शहरी गैर–सरकारी विद्यालयी पुरूष षिक्षक (68.28), बारहवें स्थान पर विद्यालयी पुरूष शिक्षक (67.98), तेरहवें स्थान पर ग्रामीण गैर– सरकारी विद्यालयी पुरूष शिक्षक (65.22), चौदहवें स्थान पर विद्यालयी महिला शिक्षक (64.42), पन्द्रहवें स्थान पर ग्रामीण सरकारी विद्यालयी शिक्षक (64.36), सोलहवें स्थान पर ग्रामीण

विद्यालयी शिक्षक (64.28), सत्रहवें स्थान पर ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी शिक्षक (62.04), अठाहरवें स्थान पर ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षक (60.18) तथा अन्तिम स्थान पर ग्रामीण सरकारी महिला शिक्षक (60.14) रहीं।
उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उत्तर–पूर्वी राजस्थान में किये गये अध्ययन कार्य में सभी विद्यालयी शिक्षकों का मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान औसत से कम निम्न स्तर का पाया गया।

द्वितीय उद्देश्य के आधार पर समग्र निष्कर्ष–

विद्यालयी शिक्षकों पर प्रशासित मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार मापनी के प्राप्तांकों के मध्यमानों का समग्र विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक प्राप्तांक (136.82) के साथ शहरी गैर–सरकारी महिला शिक्षक प्रथम स्थान पर रहीं। द्वितीय स्थान पर शहरी विद्यालयी शिक्षक (136.42), तृतीय स्थान पर शहरी सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षक (136.18), चतुर्थ स्थान पर शहरी सरकारी विद्यालयी शिक्षक (135. 66), पंचम स्थान पर विद्यालयी महिला शिक्षक (135.14), षष्ठम स्थान पर ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी शिक्षक (134.88), सप्तम स्थान पर समग्र विद्यालयी शिक्षक (134.68), अष्टम स्थान पर शहरी सरकारी विद्यालयी पुरूष शिक्षक (134.54), नवम स्थान पर सरकारी विद्यालयी षिक्षक (133.68), दसवें स्थान पर शहरी गैर–सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षक (133.08), ग्यारहवें स्थान पर गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षक (133.02), बारहवें स्थान पर ग्रामीण सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षक (132.91), तेरहवें स्थान पर गैर–सरकारी विद्यालयी शिक्षक (132.48), चौदहवें स्थान पर शहरी गैर–सरकारी विद्यालयी शिक्षक (132.22), पन्द्रहवें स्थान पर ग्रामीण सरकारी विद्यालयी शिक्षक (132.18), सोलहवें स्थान पर विद्यालयी पुरूष शिक्षक (131.96), सत्रहवें स्थान पर ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी पुरूष शिक्षक (130.84), अठारहवें स्थान पर ग्रामीण सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षक (130.80) तथा अन्तिम स्थान पर ग्रामीण विद्यालयी शिक्षक (130.66) रहे।

उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उत्तर–पूर्वी राजस्थान में किये गये अध्ययन कार्य में सभी विद्यालयी शिक्षकों का मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार औसत से अधिक उच्च स्तर का पाया गया।

तृतीय उद्देश्य के आधार पर निष्कर्ष–

उत्तर–पूर्वी राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान में सार्थक अन्तर पाया गया। माध्यों की तुलना करने पर शहरी क्षेत्र के विद्यालयी शिक्षकों का मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयी शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया।

उत्तर–पूर्वी राजस्थान के ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षकों एवं ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान में सार्थक अन्तर पाया गया। मध्यमानों की तुलना करने पर ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षकों का मानवाधिकार सम्बन्धी ज्ञान ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया।

चतुर्थ उद्देश्य के आधार पर निष्कर्ष–

उत्तर–पूर्वी राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयी शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। मध्यमानों की तुलना करने पर शहरी क्षेत्र के विद्यालयी शिक्षकों का मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयी शिक्षकों की तुलना में श्रेष्ठ पाया गया।
उत्तर–पूर्वी राजस्थान के ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षकों एवं ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षकों के मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। मध्यमानों की तुलना करने पर ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी महिला शिक्षकों का मानवाधिकार सम्बन्धी व्यवहार ग्रामीण गैर–सरकारी विद्यालयी पुरुष शिक्षकों की तुलना में श्रेष्ठ पाया गया।

शोध के शैक्षिक निहितार्थ–

1. प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त मानवाधिकारों के व्यवहार से सम्बन्धित निष्कर्षों का लाभ विद्यालय स्तर पर स्थानीय प्रबन्ध समिति, प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा लिया जा सकेगा।
2. प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त मानवाधिकारों के ज्ञान से सम्बन्धित निष्कर्षों का लाभ विद्यालय स्तर पर स्थानीय प्रबन्ध समिति, प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा लिया जा सकेगा।
3. इस शोध के उपरान्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालयों के अध्यापक मानवाधिकारों के सम्बन्ध में अधिक अध्ययन को प्रोत्साहित होंगे।
4. सरकारी स्तर पर विद्यालयों में मानवाधिकारों के हनन को रोकने हेतु अधिक व्यावहारिक उपाय किये जा सकेंगे।
5. संस्था स्तर पर अन्य विषयों के साथ मानवाधिकारों का ज्ञान भी देने से इस क्षेत्र में एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा।
6. अध्यापकों का व्यवहार छात्रों की गरिमा के सम्मान के अनुरूप होने से विद्यार्थियों की विद्यालय जाने एवं अध्ययन के प्रति निष्ठा में वृद्धि होगी।
7. संस्था स्तर पर अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार को सुधारने हेतु प्रयास किये जाने से अध्यापकों के व्यवहार में सकारात्मक सुधार होगा।
8. मानवाधिकारों के वैधानिक पक्ष के अतिरिक्त व्यावहारिक पक्ष के प्रति भी अध्यापकों को अधिक जागरूक किया जा सकेगा।
9. अध्यापकों के व्यवहार में अपेक्षित सुधार होने से छात्रों में दण्ड का भय समाप्त होगा एवं इसका प्रभाव उनकी शैक्षिक निष्पत्ति एवं व्यक्तित्व में दिखाई देगा।
10. सरकारी स्तर पर अध्यापकों को मानवाधिकार एवं बच्चों के अधिकारों का ज्ञान कराने का प्रयास किये जायेंगे।